

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर
पोस्ट-विधानसभाए रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

प्रेषिति-

श्री के. बी. लाल श्रीवास्तव एंड सन(HUF),
कर्ता- श्री के. बी. लाल श्रीवास्तव,
मेडेसरा चुनावथर खदान,
जी-4, आदर्श नगर, ग्राम एवं पोस्ट-दुर्ग,
जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़- 494001
Email : sanjayshrivastava74@gmail.com

श्री संजय श्रीवास्तव, खान एजेंट
मेडेसरा चुनावथर खदान
बास्ते के. बी. लाल श्रीवास्तव एंड सन(HUF),
मेडेसरा चुनावथर खदान,
जी-4, आदर्श नगर, ग्राम एवं पोस्ट-दुर्ग,
जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़- 494001
Email : sanjayshrivastava74@gmail.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके मेडेसरा चुनावथर खान (खान कोड- 38CHG05020) 12.85 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 20.03.2024 को सोमाल्ल्या रॉय, सहायक खनन अभियंता द्वारा आपके उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, Mining operations observed not carried out in accordance with the Review & updation of Mining Plan (RMP) approved dated: 23.11.2020 to the extent indicated below:-</p> <p>(i) Against proposed stripping ratio of 1: 0.02 (Tonne:m³) during the FY 2022-23, achieved stripping ratio is 1: 0.5 (Tonne:m³) during FY 2022-23, indicating extremely high handling of waste against very less limestone production.</p> <p>(ii) During FY 2022-23 & 2023-24, Waste/Overburden dumping proposed to be carried out at the earmarked places between ML boundary pillars MD 21 & MD 34 in western part of the mining lease area. However waste dumping was found carried out in the corner of Pit near to BP No MD 19.</p> <p>Hence, the above is observed to be against the systematic & scientific development of mines and also against the protection of environment in the mine.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके

विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(दयानंद उपाध्याय)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर -440001 ।
2. संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

हस्ता/-
(दयानंद उपाध्याय)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर